



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49431-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3080 वर्ष 2026

अमरदीप

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : पुष्पराज यादव

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : जी०ए०

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए० को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. एकदम आरंभ में ही, विद्वान ए०जी०ए० ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में अन्वेषण पहले ही पूर्ण हो चुका है और याची के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट अग्रेषित की जा चुकी है।
3. इसके विपरीत, याची के विद्वान अधिवक्ता पूर्वोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, लेकिन कथन करते हैं कि वह इस याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं।
4. उपर्युक्त कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 11, 2026

के०यू०

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।